DGW

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 2004/अग्रहायण 13, 1926

No. 537] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 2004/AGRAHAYANA 13, 1926

शहरी विकास मंत्रालय

(कार्य प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 791(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (निर्माण महानिदेशक) भर्ती नियम, 1986 का अतिक्रमण करते हुए, ऐसे अतिक्रमण के संबंध में किए गए अथवा किए जाने वाले अतिक्रमण को छोड़कर, राष्ट्रपति केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में निर्माण महानिदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) (निर्माण महानिदेशक) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—उपर्युक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उससे संबंधित वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद के किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या प्रवरण पद है या गैर प्रवरण पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
निर्माण महानिदेशक	01* (2004) *कार्यभार परआधारित विचलन के अधीन।	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	26,000 रु. निर्धारित	प्रवरण	लागू नहीं

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ अनुमत्य है	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले, वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किए जाने हैं	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसका गठन क्या है ?	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के संबंध में परामर्श किया जाना है
12	13	14
प्रोन्नति : (1) (ए) अपर महानिदेशक (निर्माण) के ग्रेड में 22,400-24,500 रु. के वेतनमान में दो वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा सहित 24,050-26,000 रु. के वेतनमान में अपर महानिदेशक (विशेष निर्माण) (बी) अपर महानिदेशक (वास्तुकीय) के ग्रेड में 22,400-24,500 रु. के वेतनमान में दो वर्ष की नियमित सेवा धारी तथापि कॉन्ट्रेक्ट आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पद धारण करने वाले व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। उपर्युक्त (1) पूरा न होने की स्थिति में (2) (ए) अपर महानिदेशक (विशेष निर्माण) के रूप में पांच वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा सहित 24,050-26,000 रु० के वेतनमान में अपर महानिदेशक (विशेष निर्माण), 22,400-24,500 रु. के वेतनमान	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय —सदस्य 3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना, इन नियमों के किसी प्रावधान में संशोधन या छूट देने के समय आवश्यक है।

12

में अपर महानिदेशक (निर्माण) तथा 18,400-22,400 रु. के वेतनमान में मुख्य अभियन्ता (वै. या सि.), या

(बी) अपर महानिदेशक (वास्तुकीय) के रूप में पांच वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा सहित 22,400-24,500 रु. के वेतनमान में अपर महानिदेशक (वास्तुकीय) तथा 18,400-22,400 रु. के वेतनमान में मुख्य वास्तुक।

टिप्पणी : 1—ग्रेड में प्रोन्नति पर विचार एक सामान्य पात्रता सूची के आधार पर किया जाएगा जो अपर महानिदेशक (निर्माण) या अपर महानिदेशक (वास्तुकीय) के ग्रेड में अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी।

टिप्पणी : 2—अपर महानिदेशक (निर्माण) के ग्रेड में कार्यरत किसी अधिकारी को निर्माण महानिदेशक के रूप में प्रोन्नत करने पर तभी विचार किया जाएगा यदि उन्हें अपर महानिदेशक (विशेष निर्माण) के रूप में प्रोन्नत किया जा चुका हो। यदि, टिप्पणी 1 में उल्लिखित सामान्य पात्रता सूची के अनुसार, कोई अपर महानिदेशक (निर्माण) किसी अपर महानिदेशक (वास्तुकीय) से वरिष्ठ हैं, तो निर्माण महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति के लिए कनिष्ठ अधिकारी से पहले वरिष्ठ अधिकारी के नाम पर विचार किया जाएगा, किन्तु उन्हें निर्माण महानिदेशक के पद पर तभी प्रोन्नत किया जाएगा यदि उन्हें अपर महानिदेशक (विशेष निर्माण) के रूप में प्रोन्नत किया जा चुका हो।

टिप्पणी : 3—यदि किसी कनिष्ठ ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, और उसकी प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है तो उसके वरिष्ठ कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा से आधी से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उसने अपने ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने पहले ही इस प्रकार की अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ-साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

[फा. सं. 5/4/2003-एस एण्ड डी/ई डब्ल्यू-I]

मेहर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Works Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2004

G.S.R. 791(E).—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department (Director General of Works) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director General of Works in Central Public Works Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Public Works Department (Director General of Works) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Director General (Works)	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 26000 Fixed	Selection	Not applicable

Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : (1) (a) Additional Director General (Works-Special) in the pay scale of Rs. 24050-26000 with two years combined regular service in the grade of Additional Director General (Works) in the pay scale of Rs. 22400-24500 and Additional Director General (Works-Special) in the scale of Rs. 24050-26000; Or (b) Additional Director General (Architecture) in the pay scale of Rs. 22400-24500 with two years regular service in the grade provided that a person holding the post by direct recruitment on contract basis shall not be eligible. Failing (1) above. (2) (a) Additional Director General (Works-Special) in the pay scale of Rs. 24050-26000 with five years combined regular service as Additional Director General (Works-Special), Additional Director General (Works) in the pay scale of Rs. 22400-24500 and Chief Engineer (Electrical or Civil) in the pay scale of Rs. 18400-22400; Or (b) Additional Director General (Architecture) in the pay scale of Rs. 22400-24500 with five years combined regular service as Additional Director General (Architecture) and Chief Architect in the pay scale of Rs. 18400-22400. **Note: 1**—Promotion to the grade shall be considered based on a common eligibility list prepared with reference to the date of completion by Officers of the prescribed qualifying service in the grades of Additional Director General (Works) or Additional Director General (Architecture). **Note : 2**—An Officer in the grade of Additional Director General (Works) shall be considered for promotion as Director General (Works) only after he has been considered and promoted as Additional Director General (Works-Special). If, as per the common eligibility list referred to in Note 1, an Additional Director General (Works) is senior to an Additional Director General (Architecture), the senior shall be considered for promotion to the post of Director General (Works) before his junior, but will be promoted to the latter post only after he has been considered and promoted as Additional Director General (Works-Special). **Note: 3**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman 2. Secretary, Ministry of Urban Development. —Member 3. Secretary, Ministry of Road Transport and Highways —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary at the time of amendment or relaxation of any provision of these rules.

12	
provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility serive or two years, whichever is less, and have successfully completed their period of probation for promotion to the next higher grade alongwith thier juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	

[F. No.5/4/2003/S & D/EW-I]

MEHAR SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.